103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1488–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 23–2–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 54/1995–96 निगरानी

रामस्वरूप पुत्र शोभाराम ब्राहमण
ग्राम किशनगढ़ी तहसील कैलारस
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश —आवेदक

विरूद्ध

कोक सिंह पुत्र खोखरिया,
ग्राम किशनगढ़ी तहसील कैलारस
जिला मुरैना मध्य प्रदेश — अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 16– 6 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 54/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–2–2006 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम किशनगढ़ी के पटैल की मृत्यु होने पर पटैल का पद रिक्त हुआ। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आवेदक एंव अनावेदक के सम्बन्ध में कि वह पटैल पद के योग्य है अथवा नहीं – पात्रता निर्धारित की। इस आदेश के

विरूद्ध कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर निगरानी निरस्त की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी क0 114/91-92 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5-5-94 से निगरानी निरस्त की गई। इसी दरम्यान रामस्वरूप ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में स्वत्व घोषणा का दावा लगाया जिसके प्रचलित रहते अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ ने पटैल पद की पूर्ति निर्वाचन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसीलदार कैलारस ने आदेश दिनांक 2-3-95 से दोनों पक्षों के बीच पटैल पद पूर्ति चुनाव के माध्यम से कराने हेतु प्रकरण में सुनवाई हेतु 10-4-95 की तिथि लगाई। इस आदेश के विरूद्ध रामस्वरूप पुत्र शोभाराम ने अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 98/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 8-11-95 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 54/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 23-2-2006 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ ने पटैल पद की पूर्ति निर्वाचन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है, जिसके कम में तहसीलदार

कैलारस ने अंतरिम आदेश दिनांक 2-3-95 से दोनों पक्षों के बीच पटैल पद पूर्ति चुनाव के माध्यम से कराने हेतु प्रकरण में कार्यवाही हेतु 10-4-95 की तिथि नियत की है जिससे असन्तुष्ट होकर आवेदक ने सर्वप्रथम अपर कलेक्टर को उसके वाद अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानियॉ की हैं, जबकि तहसीलदार कैलारस का अंतरिम आदेश दिनांक 2-3-95 अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के आदेश के पालन में है। जहॉ तक पटैल पद की पूर्ति का प्रश्न है ? संहिता की धारा 222 में व्यवस्था दी गई है जब पटैल पद के लिये दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की पात्रता समान हो, तब पद पूर्ति निर्वाचन के माध्यम से की जाना चाहिये, जिसके कारण आवेदक व्दारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी सारहीन है। वैसे भी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग व्दारा आदेश दिनांक 23-2-06 में एंव अपर कलेक्टर मुरैना पारित आदेश दिनांक 8-11-95 में लिये निर्णय समरुप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 54/1995-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-2-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर